

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01733-230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:- 3562
सेवा में:-

दिनांक:- 06-01-2023

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०,
हरियाणा, पंचकूला।

विषय:- **Diversion of 11.505 Ha. of Forest Land for widening & strengthening of Panchkula sector-32 to Morni RD km 0.00 to 17.700 in Distt. Panchkula.(MDR-118) (FP/HR/RAOD/149699/2021)**

संदर्भ:- ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त EDS दिनांक 09.12.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गई बिन्दूवार सूचना निम्नप्रकार से है।:-

1. प्रयोक्ता एजेंसी के अनुसार उनके द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-1 में संशोधन कर दिया गया है।
2. उक्त केस में ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-11 पर बाधक वृक्षों का साईटिफिक नाम व लोकल नाम अंकित कर दिया गया है।
3. इस कार्यालय के पत्र क्र० 10901 दिनांक 24.01.2022, पत्र क्र० 14001 दिनांक 24.03.2022 तथा पत्र क्र० 7801 दिनांक 07.12.2022 द्वारा उपायुक्त, पंचकूला को एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से लम्बित है। उपायुक्त, पंचकूला कार्यालय से एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र प्राप्त होने उपरांत आपके कार्यालय को भेज दिया जायेगा।
4. आपके निर्देशानुसार उक्त केस की सी०ए० स्कीम को संशोधित कर दिया गया है तथा **Barbed wire fencing** के स्थान पर **6 stick Individual fencing** का प्रस्ताव भेजा जाता है।

पृ०क्र० 3563

दिनांक 06-01-2023

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, उतरी परिमण्डल, अम्बाला को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।